



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

प्रेषक

महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला,

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं
सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,यादी कमांक: 8/2-2022 पी0एस0 (1)
दिनांक पंचकूला : 19.03.2026

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फार्म-VI भरने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको अवगत करवाया जाता है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा फार्म-VI निम्नलिखित हिदायतों के अनुसार भरा जाएगा:-

1. विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाईट <https://schooleducationharyana.gov.in> पर दिए गए Section online application के अन्तर्गत "Form VI Online Application" पर Online भरा जाना है। जिसका direct link http://117.239.183.208/form6_new2026/ है।
2. विद्यालय को फार्म-6 भरने से पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है।
3. विद्यालय MIS Portal के माध्यम से Username एवं Password के द्वारा ही Login कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय का Username एवं Password सही कार्य नहीं कर रहा है तो MIS Portal पर जाकर (<https://hryedumis.gov.in/>) forgot password के अन्तर्गत अपना पुराना Password change कर सकते हैं।
4. सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा फार्म-VI भरा जाना अनिवार्य है।
5. विद्यालय द्वारा विद्यालय के मुखिया का नाम, फोन नं०, ऑफिशियल ई-मेल आईडी, स्कूल का पिन कोड, स्कूल की प्रबंधन समिति/ट्रस्ट का नाम भरा जाना है।
6. विद्यालय द्वारा मान्यता की प्रति संलग्न की जानी है।
7. छात्रों से प्रभारित (charged) की जाने वाली फीस में निम्नलिखित शामिल होगा

- (i) अनिवार्य फीस घटक (fee components) निम्नलिखित में से किन्हीं या सभी से अन्यथा सभी छात्रों से अनिवार्य फीस घटक प्रभारित नहीं करेगा: अर्थात:-
- (क) केवल पंजीकरण के समय एक बार भुगतान योग्य विवरणिका और पंजीकरण फीस;
- (ख) विद्यालय में नए प्रवेश के समय अथवा प्रथम, छठी, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के समय पर भुगतानयोग्य दाखिला फीस
- (ग) केवल बोर्ड परीक्षा के लिए भुगतान योग्य परीक्षा फीस;
- (घ) फार्म-VI में यथा घोषित सभी छात्रों द्वारा सभी सामान्य सुविधाओं के लिए एकल शीर्ष आवर्ती फीस में भुगतानयोग्य समग्र फीस;
- (ii) वैकल्पिक फीस घटक-मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए भुगतानयोग्य फीस, निम्नलिखित शामिल होगा,-
- (क) परिवहन;
- (ख) बोर्डिंग;
- (ग) भोजनालय या भोजन-वक्ष;
- (घ) अध्ययन-भ्रमण;
- (ङ) कोई अन्य समरूप गतिविधि:

परन्तु वैकल्पिक फीस घटक केवल उन्हीं छात्रों से प्रभारित किया जाएगा, जो विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विकल्प देते हैं।

8. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधन, प्रदान की जा रही न्यूनतम सुविधाओं का और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनिवार्य फीस घटक अधिसूचना दिनांक 08.12.2021 के अनुसार प्रभारित किए जाने वाले सभी अधिकतम अनिवार्य फीस घटकों के ब्यौरे फार्म-VI में प्रस्तुत करेगा।
9. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधन फार्म-VI पोर्टल पर दर्शाई गई अंतिम तिथि या उससे पूर्व निदेशक को फार्म-VI ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।
10. कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय, फार्म-VI में प्रस्तुत अनिवार्य फीस घटक से अन्यथा कोई अनिवार्य फीस प्रभारित नहीं करेगा।
11. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, अपने नोटिस बोर्ड /वैबसाइट पर सार्वजनिक रूप से फार्म-VI (फार्म-VI के पैरा 10 को छोड़कर) प्रदर्शित करेगा।
12. फार्म-VI अधूरा /ऑफलाईन या इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने में विफल होने पर, फार्म-VI प्रस्तुत नहीं करने के रूप में माना जाएगा।

13. फॉर्म-VI प्रस्तुत नहीं करने पर, मान्यता प्राप्त विद्यालय को उस शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस संरचना बढ़ाने से रोक दिया जाएगा।
14. केवल फाईनल submitted application ही स्वीकार की जाएगी। विद्यालय अपनी सुविधा या आवश्यकता अनुसार दिए गए विवरण में अंतिम तिथि तक editing कर सकते हैं, अंतिम तिथि को विद्यालय द्वारा submitted form अंतिम माना जाएगा परन्तु फाईनल submission नहीं किए जाने की स्थिति में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। Final Submission के साथ Application printout की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
15. पोर्टल पर डाटा अपलोड करते समय यदि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो विभागीय email:form6ps2026@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं एवं तकनीकी सहायता के लिए helpline number 0172-5049801 पर किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
- नोट: यदि कोई विद्यालय फॉर्म-VI जमा करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित विद्यालय का एम0आई0एस0 खाता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।


-sd-
अधीक्षक प्राईवेट स्कूल
कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक: सम

दिनांक, पंचकूला, 19.03.2026

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पी0एस0/अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़
2. पी0ए0/ महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला
3. पी0ए0/ महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला
4. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-। एवं ।।
5. संयुक्त निदेशक, प्रशासन
- ✓ 6. संयुक्त निदेशक, आई0टी0सैल0।


अधीक्षक प्राईवेट स्कूल
कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला